न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

वाद सं :: 102/2012
जी0सी0एम0एस0नं0 :: 2012/00107

गोकुलचंद (फौत)
1/1 संतोष देवी उम्र 46 साल पत्नी गोकुलचंद
1/2 नितेश कुमार उम्र 23 साल पुत्र गोकुलचंद
1/3 पूजा कुमारी उम्र 21 साल पुत्री गोकुलचंद
1/4 कविता उम्र 19 साल पुत्री गोकुलचंद
1/5 मंजू उम्र 17 साल पुत्री गोकुलचंद
1/6 पूनम उम्र 10 साल पुत्री गोकुलचंद
1/7 अम्बिका उम्र 13 साल पुत्री गोकुलचंद
अव्यस्कगण जरिये प्राकृति संरक्षिका माता संतोष देवी पत्नी स्व0 गोकुलचंद
समस्त जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर। राज0 ।

वादीगण,

बनाम

1. राजकुमार उम्र 48 साल पुत्र श्री गोरीराम जाति ब्राहम्ण।
2. रामस्वरूप उम्र 46 साल पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण
निवासीगण ग्राम शिश्यू तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर राज0
3. उप पंजीयक पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
4. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री प्रभातीलाल ,वकील वादीगण की ओर से।
2. ,,भागीरथमल चौधरी,प्रति0वादीगण की ओर से।

दावा बाबत बंटवारा ।

निर्णय दिनांक :: 29.07.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम शिश्यू तह0 दांतारामगढ़,सीकर की तन में कृषि भूमि ख0नं0 2005 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 2006 रकबा 1.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.39 है0 अवस्थित है, जिसमें ख0नं0 2005 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह है, जिसमें वर्ष 1995 से ही सिंचाई का कोई साधन नहीं है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का 1/3 हिस्सा प्रति0सं0 1 का 45/138 हिस्सा प्रति0सं0 2 का 47/138 हिस्सा राजस्व रिक्रॉर्ड में दर्ज है। ये भूमियां पूर्व में वादी एंव प्रति0सं0 2 रामस्वरूप एंव वादी की माता पतासी देवी व वादी के भाई ओमप्रकाश की संयुक्त खातेदारी की भूमिया थी। जिनका न्यायालय की डिक्री से जरिये ना0क0 सं0 1687 दिनांक 16.11.2011से वादी एंव प्रति0सं0 2 तथा वादी के भाई ओमप्रकाश के नाम से दर्ज हुई।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

परन्तु खातेदारी के हस्तान्तरण का हक त्याग विलेख कोई दस्तावेज नहीं होने के बावजूद भी ओमप्रकाश का 1/3 हिस्सा प्रति0सं0 2 ने अपने पक्ष में पंजीकृत करवा लिया एंव प्रति0सं0 2 रामस्वरूप ने स्ट्रेन्जर परचेजर प्रति0सं0 1 के पक्ष में एक नुमाईशी विक्रय पत्र पंजीकृत करवा दिया। परन्तु ना तो प्रतिफल का आदान प्रदान हुआ ना ही कब्जा दिया गया ना ही क्रेता को कब्जा प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार हैं। अजनबी क्रेता अपने हिस्सों को बंटवारा करवा कर ही कब्जा प्राप्त कर सकता है, जिससे स्पष्ट है कि क्रेता को कब्जा नहीं दिया गया है। परन्तु प्रति0सं0 1 क्रेता बिना बंटवारा करवाये ही जबरन ताकत के बल पर नुमाईशी विक्रय पत्र की आड़ में दर्ज खातेदारी के आधार पर अच्छी अच्छी भूमियों पर अनाधिकृत कब्जा करने की दिनांक 1.5.2012 से एहलानिया धमकी दे रहा है, जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है फिर भी प्रति0सं0 1 प्रति0सं0 2 के कुसहयोग से बिना बंटवारा करवाये अच्छी-अच्छी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने में सफल हो गया तो वादी को इतनी असीमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकेगी इसलिए वादी द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वाद पेश कर मद सं0 11 की उप मद क, ख, ग, घ अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 व 2 जरिये वकील उपस्थित आए। तथा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि मद सं0 1 स्वीकार है। मद सं0 2, 3, 4 जिस तरह से तहरीर की गई है, स्वीकार नहीं है। मद सं0 5, 7, 9, 10 कानूनी है। मद सं0 6, 8, 11 गलत होने से स्वीकार नहीं है। जवाबदाता ने जवाब दावा पेश कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

वादी के वाद के समर्थन में रामचन्द्र पुत्र श्री रघुनाथ गुर्जर नि0 शिश्यू तह0 दांतारामगढ़,सीकर एंव स्वंय वादी ने वाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया तथा शपथ- पत्र नितेश कुमार पुत्र स्व0 गोकुलचंद जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम शिश्यू तह0 दांतारामगढ़, सीकर,शपथ-पत्र रामस्वरूप पुत्र श्री कन्हैयालाल, नि0 शिश्यू, एंव शपथ पत्र राजकुमार पुत्र गौरीलाल जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम शिश्यू तह0 दांतारामगढ़,सीकर पेश किया।

प्रकरण में दिनांक 20.12.19 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़ ने जरिये पत्रांक भू0अ0/2024/5084 दिनांक 20.09.2024 से बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील प्रतिवादी द्वारा सहमति देते हुए तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/5084 दिनांक 20.09.2024 के द्वारा भिजवाये गये बंटवारा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमियां संयुक्त

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

खातेदारी की कृषि भूमिया है तथा पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से के अनुसार बाहमी बंटवारा कर अपनी भूमियों पर काबिज काश्त है। चूंकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में मुख्य रूप से बंटवारा का अनुतोष चाहा गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार चले आ रहे है। उसके अनुसार बंटवारा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाह रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार रिकार्डेड खातेदार अपने हिस्से के अनुसार बंटवारा करवाने के हक व अधिकारी है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर आराजी कृषि भूमि ख0नं0 2005 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 2006 रकबा 1.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.39 है0 वाके ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ़, सीकर में निम्न प्रकार वादीगण एंव प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं:–

क. स.	नाम खातेदार	ख0 नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण राहिन भूमि विकास बैंक शाखा सीकर	2006/1	0.4766 है0	बा0 4	
2.	राजकुमार पुत्र गोरीलाल जाति ब्राहम्ण राहिन पीएनबी शाखा रानोली	2006/2	0.4500 है0	बा0 4	
3.	गोकुलचंद पुत्र कन्हैयालाल	2005 2006/3	0.0100 है0 0.4500 है0	गै0मु0 चाह बा0 4	

तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव पत्रांक भू0अ0/2024/5084 दिनांक 20.09.2024 निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

(कविता गोदारा)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर